रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938
No. 610] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2017

का. आ.680(अ).– जबकि सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है तथा आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है;

तथा जबकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् 'मंत्रालय' कहा जाएगा), भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत शीर्षस्थ निगमों नामत: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) (जिन्हें इसके पश्चात् निगम कहा जाएगा) को नामित चैनलाइजिंग एजेंसियों तथा/या नामित प्रशिक्षण भागीदारों (जिन्हें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसियां कहा जाएगा) के माध्यम से अपनी योजनाओं (जिन्हें इसके पश्चात् योजनाएं कहा जाएगा) के तहत 'छात्रों एवं उद्यमियों के लिए रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता (जिसे इसके पश्चात् लाभ कहा जाएगा) तथा संबंधित लक्ष्य समूहों का कौशल विकास' (जिसे इसके पश्चात् लाभार्थी कहा जाएगा) प्रदान करने हेतु इक्विटी सहायता प्रदान कर रहा है;

तथा जबकि, कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तावित उपर्युक्त योजनाओं के लिए किया गया व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

अत:, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामत:-

1. (1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं;

(2) योजनाओं के तहत लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है अथवा जिनका अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं हुआ है, से एतद्वारा यह अपेक्षित है कि वह **30 जून, 2017** तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है] में जा सकते हैं;

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, संबंधित मंत्रालय, अपने निगमों जिन्हें व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, से यह अपेक्षित है कि उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करें जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा संबंधित प्रखंड या तालुक या तहसील में किसी आधार नामांकन केन्द्र के नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय, अपने निगमों के माध्यम से, से यह अपेक्षित है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर अथवा यूआईडीएआई का स्वयं पंजीयक बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं;

बशर्ते कि उस समय तक जब लाभार्थियों को आधार सौंपा जाता है, तब तक निम्नलिखित पहचान संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन ऐसे लाभार्थियों को योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा, नामतः-

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; **और**

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या

(ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; अथवा

(iii) राशन कार्ड, अथवा

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा

(v) पासपोर्ट; अथवा

(vi) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या

(vii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय लेटर हैड पर जारी ऐसे सदस्य का फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र ।

(viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के तहत लाभार्थियों को सुविधाजनक एवं बिना किसी कठिनाई के लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपने निगमों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा :-

(क) योजनाओं के तहत आधार की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को अवगत करने के लिए निगमों या कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध समीपवर्ती आधार नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) यदि, योजनाओं के लाभार्थी अपने निवास के समीप यथा प्रखंड अथवा तालुक अथवा तहसील के भीतर नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि मंत्रालय अपने निगमों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे, मंत्रालय के संबंधित कार्मिक को अपने निगमों के माध्यम से अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 14016/1/2017-डीबीटी]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2017

S.O. 680 (E).–Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Ministry), Government of India is providing Equity support to the Apex Corporations under Department of Social Justice and Empowerment, namely, the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) and the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) (hereinafter referred to as Corporations) for providing financial assistance (hereinafter referred to as benefit) in the form of 'concessional loan to students and entrepreneurs' and 'skill development of their respective target groups' (hereinafter referred to as beneficiaries) under their schemes (hereinafter referred to as Schemes) through nominated Channelising Agencies and/or nominated training partners (herein after referred to as Implementing Agencies);

And whereas, the aforesaid Schemes offered through the Implementing Agencies involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) An eligible Individual desirous of availing benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication;

(2) An individual desirous of availing benefits under the Schemes, who does not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by **30th June 2017**, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in for Aadhaar enrolment;

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Ministry through its Corporations which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Corporations is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub- paragraph (b) of paragraph 2; **and**

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) any other documents specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries under the scheme, the Ministry through its Corporations shall make all the required arrangements including the following, namely:-

a) Wide publicity through media and individual notices through Corporations or implementing agencies, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by

30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

b) In case, the beneficiaries of the schemes are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within the vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the ministry through its Corporations is required to facilitate Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers with other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, to the concerned official of the Ministry through its Corporations or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 14016/1/2017-DBT]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.02 11:48:36 +05'30'